

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2017  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/11/2017 20:23 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):  
1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 28/11/2017 Date To (दिनांक तक): 28/11/2017  
Time Period (समय अवधि): Pahar 7 Time From (समय से): 20:06 hrs Time To (समय तक): 20:06 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/11/2017 Time (समय): 20:06 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 28/11/2017 20:06 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 35 Km(s) Beat No. (बीट सं.):  
(b) Address (पता): Meham, Rohtak,  
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): MEHAM  
District (State) (जिला (राज्य)): ROHTAK (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Mahesh Kumar  
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 09/12/1972 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
1	Present Address	Faridabad, BALLABHGARH CITY, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Faridabad, BALLABHGARH CITY, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	Faridabad, BALLABHGARH CITY, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416082736

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	चांदी राम			1. वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी, दि महम सहकारी मिलज लिमिटेड, ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

## 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, रोहतक मण्डल, रोहतक। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 4 दिनांक 21.04.16 रोहतक, महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला कार्यालय के पृष्ठांक क्रमांक 4937/आई-1/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) पंचकुला दिनांक 25.04.16 द्वारा दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह वासी भैणी महाराजपुर जिला रोहतक की शिकायत के आधार पर निम्न आरोप की पडताल की जानी थी। श्री चांदी राम वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी दि महम सहकारी मिलज लिमिटेड द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके शिकायतकर्ता सुखबीर द्वारा किये गये काम के बदले 4,500 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। जो उपरोक्त आरोप की पूर्ण पडताल श्री करतार सिंह निरीक्षक, रा0 चौ0 ब्यूरो उपकेन्द्र झज्जर द्वारा की गई। पडताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013 में श्री मनीष नागपाल, एम0डी0 शुगर मिल महम द्वार शुगर मिल महम में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा शीरे के लिये गडडा खोदने व खोदी गई मिट्टी को मील के अन्दर ही खाली जगह में डालने बारे कुटेशन प्राप्त की गई थी। श्री सुखबीर सिंह सुपुत्र श्री सुमेर सिंह वासी भैणी महाराजपुर की कुटेशन में कम रेट होने के कारण एम0डी0 द्वारा कार्य का अलात किया गया था। सुखबीर सिंह द्वारा कार्य करने उपरान्त 54,600 रुपये के बिल प्रस्तुत किया गया जो रिकार्ड में मौजूद नहीं पाया गया। जिस बारे विभाग से प्राप्त किये गये रिकार्ड अनुसार श्री चान्दीराम तत्कालीन लेखाकार द्वारा दिनांक 16.07.14 को मुताबीक बैंक नं0 211454 दिनांक 16.7.14 अनुसार पी0एन0बी0 बैंक महम जिला रोहतक से 54,600 रुपये की अदायगी की जानी पाई गई है। जिस बारे दी महम शुगरमील लिमिटेड से लिखित रिपोर्ट हासिल की गई जिसमें बतलाया गया कि चान्दीराम तत्कालीन मुख्य लेखाकार द्वारा सुखबीर सिंह ठेकेदार के बिल की अदायगी उपरान्त सम्बन्धित विभाग के मूल रिकार्ड में नहीं पाया गया तथा ना ही चांदी राम तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक जवाब देना पाया गया। पडताल के दौरान परिवादी की परिवादी शपथपत्र व सी0डी0 के अनुवाद अनुसार चान्दीराम वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा 4,500 रुपये रिश्वत की मांग की जानी पाई। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी / अधिकारी द्वारा पैसे की कोई मांग की जानी नहीं पाई गई। परिवादी द्वारा सी0डी0 उसके खुद के मोबाईल फोन से तैयार की जानी पाई गई। परिवादी के मोबाईल नं0 8607452944 व आरोपियान के मोबाईल नं0 9992333901, 802648333 व 802349260 की काल डिटेल बाबत अवधि माह अगस्त 2014 ईन्चार्ज साईबर सैल, कार्यालय पुलिस अधीक्षक रोहतक की रिपोर्ट अनुसार एक वर्ष से ज्यादा समयावधि होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी। परिवादी सुखबीर सिंह द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 9.08.17 को जांच अधिकारी को पेश किया गया जिसमें उसने बतलाया कि उसके और आरोपी चान्दीराम मुख्य लेखाधिकारी शुगर मील महम के मध्य बिल पास करने की एवज में रिश्वत के लेन देन बारे की गई बातचीत की रिकार्डिंग सी0डी0 के रूप में पहले ही शिकायत के साथ विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई थी। दी गई शिकायत, शपथ पत्र व सी0डी0 के अनुवाद अनुसार आरोपी चान्दीराम मुख्य लेखाधिकारी शुगर मिल महम द्वारा परिवादी सुखबीर सिंह के बिल की अदायगी के सम्बन्ध में 4,500 रुपये रिश्वत की मांग की पुष्टी होने पर आरोप सिद्ध होना पाया जाने पर आरोपी चान्दीराम मुख्य लेखाधिकारी शुगर मिल महम उपरोक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संख्या 49 सन 1988 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने सुझाव देते हुये रिपोर्ट माननीय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के क्र0 11483/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) दिनांक 8.09.17 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादी क्र0 17/11/16-4 चौ-1 दिनांक 25-10-2017 व महानिदेशक राजेय चौकसी ब्यूरो (ह0) के पृष्ठांकन क्र0 13639/आई-1/रा0चौ0ब्यूरो दिनांक 3.11.17 अनुसार आरोपी चान्दीराम मुख्य लेखाधिकारी शुगर मील महम उपरोक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संख्या 49 सन 1988 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल कुल 5 फाईले आपके पास भिजवाई जा रही है। (महेश कुमार उ0प0अ0) रा0चौ0ब्यूरो रोहतक। अज थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मु0 बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके FIR की प्रतियां तैयार कि गई। अफसरान बाला को बजरियां स्पेशल मैसेन्जर/ Mail द्वारा सूचना दी गई व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित जाँच रिकार्ड SP साहब द्वारा नियुक्त I/O उप पुलिस अधीक्षक महेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के हवाले किया गया व मु0 सि0 रामरतन 3/44 के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह की I.D. पर P/निरीक्षक नरेन्द्र कुमार की हाजिरी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

## 13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mahesh Kumar Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Narinder Singh

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1980				
						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

